विज्ञप्ति

आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या 14660/ सात–लाईसेंस नीति–40/आबकारी नीति प्र0–2014–15/देहरादून दिनांक 28.02.2014 के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लिये प्रथम चरण में दिनांक 22.03.2014 तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। प्रथम चरण में जनपद की देशी मदिरा दुकान सब्जी मण्डी में कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ है । उक्त दुकान के लिये द्वितीय चरण हेतु दिनांक 01.04.2014 के सांय 05 बजे तक पूर्ण राजस्व पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है जिसके आधार पर दिनांक 02.04.2014 को प्रातः 10 बजे से प्रकिया समाप्ति तक दुकान का आवंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.4.2014 से 02.04.2014 तक राजस्व हित में दुकान को दैनिक आधार पर संचालित किया जायेगा जिसके लिये देय अनुज्ञापन शुल्क एवं एम0जी0डी0 निम्नवत है:–

क0सं0	दुकान का नाम	दैनिक आधार पर संचालन की अवधि	उक्त अवधि हेतु देय अनुज्ञापन शुल्क	उक्त अवधि हेतु देय एम0जी0डी0
1	देशी मदिरा सब्जी मण्डी	01.04.14 से 02.04.14 तक	11740/–रूपये	223010/–

अतः दिनांक 01.04.14 से 02.04.14 तक दैनिक आधार पर दुकान संचालित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति दिनांक 31.03.2014 को सांय 05 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार कार्यालय पर सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं।

ह0–
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

जिला आबकारी अधिकारी
हरिद्वार

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

संख्याः 854 /आबकारी सहायक–व्य0 दिनांक :मार्च 28 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आबकारी आयुक्त महोदय उत्तराखण्ड देहरादून।

2– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/नामित अधिकारी हरिद्वार।

3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपदीय बेबसाईट "www.haridwar.gov.in" पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

4– जिला सूचनाधिकारी हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सरकारी दर पर न्यूनतम सम्भव स्पेस में किन्ही दो प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 30.03.2014 के अंक में प्रकाशित करवाने का कष्ट करे तथा बिल की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराये।

28/3/14

जिला आबकारी अधिकारी,
हरिद्वार।